

तारीख हुक्म

29/05/19

पत्रावली पेश हुई। बकूलाम उप.
~~अधिवक्ता/ पीठार/ अधिकारी~~
~~को पेश करने में समर्थ। अधिवक्तागण का कार्य स्थगित~~
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
 दिनांक 04/06/19 को पेश हो

04/06/19

पत्रावली पेश हुई। बकूलाम उप.
~~अधिवक्ता/ पीठार/ अधिकारी~~
~~को पेश करने में समर्थ। अधिवक्तागण का कार्य स्थगित~~
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
 दिनांक-18/06/19 को पेश हो

18/06/19

पत्रावली पेश हुई। बकूलाम उपपदा उपस्थित।
 वकील जर्गी में लंशोधित शीर्षक पेश किया
 जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील उपस्थित
 को लंशोधित शीर्षक की बकूल दिलवाई गई।
 वकील अर्जाओं में अर्जाओं सं. 3/1 ता 3/5 की
 और से प्रार्थना पर पेश कर निवेदन किया कि
 अर्जावली प्रकरण में उत्तर जबकि अर्जाओं सं.
 1, 2 व 4 को ही अर्जाओं सं. 3/1 ता 3/5 का
 भी जबकि पदा जाने की हृषाको जिस पर
 वकील जर्गी में समापति जाहिर की। अतः
 व्यापक में वकील अर्जाओं का निवेदन स्वीकार
 किया जाता है। अर्जाओं सं. 5 ता 8 की
 तामील पूरे में सम्यक रूप से ठीक लोरी
 हैं। बकूल सम्यक तामील अतः अर्जाओं की
 और से कोई हाजि अदालत नहीं आया। अतः
 अर्जाओं सं. 5 ता 8 के बिना एक पक्षीय कार्य
 वाही अमल में लाई जाती हैं। पत्रावली वास्तव
 वकस दिनांक 01/07/19 को पेश हो

01/19

पत्रावली पेश हुई। बकुलाग उप.
~~अनुपस्थित~~ / पीठारसी अधिकारी
~~होए पर~~ / अन्य कार्य में व्यस्त। ✓
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्द
दिनांक-20/08/19 को पेश हो। *ms*

20/19

पत्रावली पेश हुई। बकुलाग उप.
~~अनुपस्थित~~ / पीठारसी अधिकारी
~~होए पर~~ / अन्य कार्य में व्यस्त। ✓
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्द
दिनांक-15/10/19 को पेश हो। *ms*

15/19

पत्रावली पेश हुई। बकुलाग उप.
~~अनुपस्थित~~ / पीठारसी अधिकारी
~~होए पर~~ / अन्य कार्य में व्यस्त। ✓
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्द
दिनांक-05/12/19 को पेश हो। *ms*

21/19

वकील जर्गी द्वारा पेश ज्ञापन मिल
तलब स्वीकार की जाने पर पत्रावली निम्न
तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई।
वकील जर्गी ने ट.इ. विद्वा ज्ञापन पेश कर
निवेदन किया कि उक्त में जर्गी व अजर्गी
से. 1 व 2 के मध्य कासी राजीनामा ले गया
है। अतः ज्ञापन टी.आई. विद्वा किया
जाने के आदेश उदान को। वकील जर्गी का
ज्ञापन स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने
पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर
ज्ञापन टी.आई. को विद्वा किया जाने
की अनुमति उदान की जाती है। पत्रावली
केसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा
बाद तलमील दायित्व दफ्तर हो। नियम बुले
न्यायालय में सुनाया गया। *ms*

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला